



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2120]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 17, 2014/आश्विन 25, 1936

No. 2120]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2014/ASVINA 25, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2014

(आयकर)

का. आ. 2669(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली में अपर आयकर आयुक्त, श्री भास्कर गोस्वामी, उप आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्यन अधिकारी)-I(5), नई दिल्ली की शक्तियों का प्रयोग तथा प्रकार्यों का निष्पादन करेंगे तथा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली के संयुक्त आयकर आयुक्त श्री विजय चौधरी उप आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्यन अधिकारी-II(5), नई दिल्ली की शक्तियों का प्रयोग तथा प्रकार्यों का निष्पादन करेंगे।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 49/2014/फा.सं.187/14/2013(आयकर निर्धारण-I)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक (आयकर निर्धारण-I)